REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816]नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 2016/अग्रहायण 5, 1938No. 816]NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 2016/AGRAHAYANA 5, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1094(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), प्ररूप ज में, शर्त 7 में शब्द "90 दिनों" को शब्द "180 दिनों" सें प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल नियम में, उपाबंध—I में, पद (1) में शब्द "पहली तिमाही" को शब्द "दूसरी तिमाही" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. डी–12 / 24 / 2016–एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव,

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्या 54 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. 772 (अ), तारीख 5 अगस्त, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

5463GI/2016

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21<sup>st</sup> November, 2016

**G.S.R.** 1094(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones rules, 2006, (hereinafter referred to as the principal rules) in Form H, in Condition 7 for the words "ninety days", the words "one hundred eighty days" shall be substituted.

3. In the principal rules, in Annexure-I, in item (1) for the words "first quarter", the words "second quarter" shall be substituted.

[F.No. D.12/24/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy

**Note** : - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2006 and was lastly amended vide notification G.S.R 772 (E), dated the 5<sup>th</sup> August, 2016.